उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 61 XXIV–4 / 1(3) 2010
देहरादूनः दिनांक 06 जून, 2013,
अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

विनियम 8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 जिन्हें यहां आगे मूल विनियम कहा गया है, के भाग दो–क, अध्याय–एक के विनियम 8 के उप विनियम 'ट' के पश्चात् उप विनियम (ठ) निम्नवत रख दिया जायेगा अर्थात्,

"ठ" यदि किन्ही कारणों से प्रबन्ध समिति के चुनाव समय पर न हों तो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित विद्यालय में प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति करेगा, जो प्रबन्ध समिति का चुनाव करायेगा। प्रबन्ध संचालक को प्रबन्ध समिति के समस्त अधिकार प्रदत्त होंगे।

विनियम 7(2)का संशोधन

3. मूल विनियम अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) विनियम (2)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) विनियम (2)
ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा–42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के	ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा–42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पॉच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के वयन

रूप में पॉच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के चयन के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रकिया का पालन किया जायेगा।	के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक/बी0टीसी0 या समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

विनियम 10(क)का संशोधन

4. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम 10 के उप विनियम (क) के द्वितीय प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10 (क)	**अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10(क)**
विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 100 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।	विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

विनियम16 का संशोधन

5. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 16 चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।	अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 16 चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाले प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को 1000 रूपया (रूपये एक हजार) अन्य सदस्य को गुण विषयक अंक हेतु रूपये 20 प्रति अभ्यर्थी न्यूनतम 500 रूपया स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।

अध्याय दो परिशिष्ट "क" का संशोधन

6. मूल विनियम अध्याय–दो परिशिष्ट–क में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें अध्यापक	अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें अध्यापक
1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी, जो	1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी, जो

बी0एस0सी0एड0।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी0एड0. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा **(टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।**

3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होंगीः–

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्क्रम(बी0टी0सी0)। (बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने पर विश्वविद्यालय की बी0एड0 उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्हें आवश्यक सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय)।

3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होगीः–

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा **(टी0ई0टी) में पास होना।**

भाग 2 ख अध्याय एक का संशोधन

7. मूल विनियम भाग दो–ख में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम भाग दो–ख	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम भाग दो–ख
अध्याय–एक– परिभाषाएं।	अध्याय–एक–परिभाषाएं
(5) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल का प्रधान है।	(5) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ मान्यता प्राप्त **हाईस्कूल/पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल)/ प्राईमरी का प्रधान है।**

अध्याय सात विनियम 3(च) का संशोधन

8. मूल विनियम अध्याय सात {परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता} हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता–विनियम 3 के उप विनियम (च) के पश्चात उप विनियम (च)(1) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(च) (1) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए प्रशासन योजना से छूट रहेगी।

अध्याय सात विनियम 5(6)का संशोधन

9. मूल विनियम अध्याय 7 के विनियम 5(6) के पश्चात उप विनियम (6)(क) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(6)(क) विद्यालय के नाम भूमि 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड होनी चाहिये तथा नजूल भूमि के मामले में भूमि विद्यालय के निजी स्वामित्व का प्रमाण पत्र परगना अधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अध्याय सात विनियम 9 का संशोधन

10. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम
विनियम 9 (अ) (क) (5) (च) हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–	विनियम 9 (अ) (क) (5) (च) हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–
भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 4000 वर्ग मी0 अथवा एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।	भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका /टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मी0 अथवा आधा एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

अध्याय तेरह विनियम {1} (छः) का संशोधन

11. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम {1} (छः)	हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {1} (छः)
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय तेरह विनियम {2}(अ)–1 का संशोधन

12. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम {2} (अ)–1	हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {2} (अ)–1
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)
परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1	परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय चौदह विनियम 3 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम
इण्टरमीडिएट परीक्षा	इण्टरमीडिएट परीक्षा
विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा	विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा
कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।	कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– /(1)1(3)2010/XXIV–4/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा धिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आ0के0तोमर)
उपसचिव।

समय–समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल0टी0 व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।

समय–समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल0टी0 व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।

1(क) अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पंजाबी एवं बंगला पद हेतु उस विषय में स्नात्कोत्तर/समकक्ष तथा बी0एड0 एवं एल0टी0 स्तर पर स्नातक/ समकक्ष तथा बी0एड0 शैक्षिक योग्यता लागू होगी।

2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नियूक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु अर्हतायें निम्नवत् होंगीः–

2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय **(कक्षा VI–VIII)** तक के विद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत् होंगीः–

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।

(क) (स्नातक और प्रारभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी0ए0 /बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0/

(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठयक्रम (बी0टी0 सी0)। बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अथ्यर्थी न मिलने पर विश्व विद्यालय की बी0एड0 उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमा मान्य होगा)।